न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 14/2023 **GCMS No. 2023/27**

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गंगाराम पुत्र शिवकरण जाति कुमावत सा. लखजी का बास
2. बंशीलाल पुत्र बिरदाराम कुमवत निवासी कुचामनसिटी
3. महेन्द्र कुमार पुत्र जोधाराम जाट जसराना
4. मालूराम पुत्र मुन्नाराम कुमावत टोरडा
5. रूघनाथ प्रसाद पुत्र धन्नाराम कुमावत टोरडा

आदेश

दिनॉक :– 18.07.2023

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट–"ए" व मौका पर्चा एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार **ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1122/296 रकबा 1.5377 हैक्टर में से 0.1647 हैक्टर** में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

संबंधित खातेदार खातेदार/अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से 50/रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी सहमति जाहिर कर रास्ते दिये जाने बाबत स्वीकार किया है कि उपरोक्त रास्ता दिया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है तथा मौके पर जाकर ही संबंधित पटवारी हल्का निरीक्षक भू.अ.तहसीलदार द्वारा तैयार कर ही प्रस्तुत किया गया है, मौका रिपोर्ट में प्रकरण उपरोक्त के द्वारा रास्ता बाबत तैयार कर ही प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1122/296 रकबा 1.5377 हैक्टर में से 0.1647 हैक्टर** में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनॉक 18/7/2023 को हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:42 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)